



2  
11

मो. सं. 10001 को. सं. 10001 प्रि. सं. 10001  
मु. सं. 10001 प्रि. सं. 10001 प्रि. सं. 10001  
मु. सं. 10001 प्रि. सं. 10001 प्रि. सं. 10001

### केवल नकल की फीस के लिये

आवश्यक स्टाम्प सहित प्रार्थना पत्र देने की तारीख	नोटिस बोर्ड पर नकल लगे जाने की सचना की तारीख	नकल वापिस दिये जाने की तारीख	नकल वापिस देने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर
438 18-01-19	18-01-19	18-01-19	A



A

10001 प्रि. सं. 10001 प्रि. सं. 10001

न्यायालय-उपजिलाधिकारी जमानियाँ, गाजीपुर ।  
वाद सं० - 125  
मौजा - बरुइन

धारा - 143 ज०वि०अ०, 1950,  
परगना व तहसील जमानियाँ

राजकिशोर सिंह महाविद्यालय व अन्य बनाम ग्राम पंचायत

प्रस्तुत वाद राजकिशोर सिंह महाविद्यालय बरुइन जमानियाँ, गाजीपुर द्वारा प्रबन्धक उपेन्द्र सिंह पुत्र स्व० राजकिशोर सिंह निवासी बरुइन पर० तह० जमानियाँ द्वारा याजित किया गया है। प्रतिवादी ग्राम पंचायत बरुइन जरिये ग्राम प्रधान बरुइन परगना व तहसील जमानियाँ को बनाया गया है। प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि आराजी प्रार्थी की भूमिधरी है। अब किसी प्रकार कोई कृषि कार्य नहीं होता है। उक्त भूमि पर राजकिशोर सिंह महाविद्यालय कायम हो चुका है तथा सुचारु रूप से आबाद है। अन्त में कहा गया है कि मौजा बरुइन के गाटा सं० -997/1.803 हे० में से 0.601 हे० व अराजी संख्या 1013 रकबा 0.796 हे० में से 0.398 हे० को आबादी घोषित किया जाय।

नियमानुसार जाँच हेतु तहसीलदार जमानियाँ के यहाँ भेजी गई। नायब तहसीलदार जमानियाँ की आख्या दिनांक 20.12.2018 प्रस्तुत की गई। उक्त आख्या में कहा गया है कि आवेदक आ०सं० 997 क्षेत्रफल 0.601 हे० व आ०सं० 1013 क्षेत्रफल 0.398 हे० में स्थित ग्राम बरुइन में राजकिशोर सिंह महाविद्यालय के कमरे बने हैं। जिसमें कुकुटपालन, मतस्यपालन एवं कृषि कार्य नहीं होता है। अकृषिक घोषित करने की संस्तुति की गई है।

मैने पत्रावली पर उपलब्ध नायब तहसीलदार जमानियाँ की आख्या दिनांक 20.12.2018 का अवलोकन किया तथा पत्रावली के साथ संलग्न साक्ष्यों का अवलोकन किया। अवलोकन से प्रकट होता है कि आराजी बेजाई पर कृषि कार्य नहीं होता है गैरकृषिक प्रयोजन में लाया जाता है।

अतः नायब तहसीलदार जमानियाँ की आख्या दिनांक 20.12.2018 के आधार पर मौजा बरुइन के आ०नं० 997/0.601 हे० व आ०नं० 1013/0.398 हे० पर राजकिशोर सिंह महाविद्यालय होने के कारण उक्त आराजी में कृषि कार्य नहीं होता है अकृषिक घोषित किया जाता है। तदनुसार परवाना अमलदरामद जारी हो। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दपतर होवे।

नफ्तलकर्त्री - 4  
मिलानकर्त्री - 2  
अव०सं० - 175

शुद्धतल्लिफ

18/01/19  
उपजिलाधिकारी जमानियाँ  
गाजीपुर



विजय कुमार गुप्ता  
उपजिलाधिकारी जमानियाँ  
गाजीपुर।